

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1117/2015/जयपुर
अपील संख्या - 1118/2015/जयपुर
अपील संख्या - 1119/2015/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-द्वितीय जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

गैरार्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.,
नेहरू मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री टी.सी.जैन,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 24/07/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा ये तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजस्थान, वृत्त द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 18.06.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24(6) के तहत निम्नानुसार कर व ब्याज आरोपित किये जाने को अपास्त किया गया है।

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज	कुल विवादित राशि
1.	1117/2015	152/अपील्स-II	2006-07	3,26,515	3,03,659	6,30,174
2.	1118/2015	153/अपील्स-II	2007-08	3,27,446	2,65,231	5,92,677
3.	1119/2015	154/अपील्स-II	2008-09	3,63,616	2,50,895	6,14,511

2. चूंकि तीनों ही प्रकरणों के तथ्य संमान है अतः इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जा रही हैं।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा लाईसैंस फीस राशि पृथक से डेबिट नोट्स से वसूल नहीं की जाकर विक्रय बिलों में ही प्रति किलो लीटर के हिसाब से वसूल की जाती है तथा क्रेता रिटेल आउटलेट डीलर्स इस राशि को अपने खरीद खाते में इंड्राज करता है तथा अपने लाभांश से यह राशि न चुका कर क्रेता उपभोगताओं से यह राशि वसूल कर लेता है। सशक्त अधिकारी के अनुसार लीज राशि केवल एक निश्चित राशि व समयानुसार ही ली जा सकती है। उपरोक्त कारणों के आधार

लगातार.....2




पर सशक्त अधिकारी द्वारा लाईसेंस फीस राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानकर आलौच्य अवधि में कुल वसूल की गयी लाईसेंस फीस राशि को कर योग्य मानकर इस पर माल की दर से प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध वर्ष 2006-07 से 2008-09 कर व उस पर ब्याज आरोपित किया। सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें पेश किये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 08.11.2010 को प्रकरणों का निस्तारण करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा पेश की गयी अपीलों को स्वीकार किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपीलें पेश किये जाने पर कर बोर्ड द्वारा दिनांक 12.07.2012 को अपीलों का निस्तारण किया जाकर अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण रसोई गैस व कैरोसीन के विक्रय बिलों में प्रति किलो लीटर के हिसाब से वसूल की गयी लाईसेंस फीस के बिन्दु पर सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये। कर बोर्ड के निर्णय की पालना में सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलाधीन विवादित आदेशों में प्रत्यर्थी द्वारा एलपीजी व कैरोसीन के विक्रय पर वसूल की गयी लाईसेंस फीस को अधिनियम की धारा 2(36) के तहत विक्रय मूल्य का भाग अवधारित करते हुए लाईसेंस फीस पर कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलों को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कहा कि लाईसेंस फीस, एलपीजी व कैरोसीन के स्टोरिंग, सेलिंग एवं हैंडलिंग के संबंध में अतिरिक्त सुविधाएं यथा भूमि गोडाउन इत्यादि उपलब्ध कराने से संबंधित है जो कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार वसूल किया गया है। लाईसेंस फीस से तात्पर्य सर्विस स्टेशन लाईसेंस फीस से है जो कि अधिनियम के तहत कर योग्य नहीं है। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा कि लाईसेंस फीस को विक्रय मूल्य का भाग मानकर किया गया करारोपण अविधिक है क्योंकि भूमि, गोडाउन, शोरूम अचल संपत्ति की श्रेणी में आते हैं न कि गुड्स की श्रेणी में। मात्र बिलों में लाईसेंस फीस अंकित कर देने से यह विक्रय मूल्य का भाग नहीं बन जाता है। पेट्रोल व डीजल के विक्रय पर बिलों में अचल संपत्ति के संबंध में वसूली गयी लाईसेंस फीस को अधिनियम की धारा 2(36) के तहत कर योग्य नहीं होना अभिनिर्धारित किया गया है। चूंकि एलपीजी भी



पैट्रोल व डीजल की भांति भूमि में लगे टैंकों में स्टोर की जाती है तथा उसे भी उन टैंकों से पंपों ही द्वारा विक्रय किया जाता है। इस संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय S.B. Sales Tax Revision Petition No. 21/2013 ACTO v/s Hindustan Petroleum corpn. Ltd. आदेश दिनांक 01.10.2015 के निर्णय का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार ऐसे टैंक अचल संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। अतः एलपीजी भी अधिनियम की धारा 2(36) के तहत कर योग्य नहीं होगी। आगे अपने कथन में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को खारिज करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी विभाग द्वारा रसोई गैस व कैरोसीन के विक्रय बिलों में प्राप्त लाईसेंस फीस को अधिनियम की धारा 2(36) के तहत कर योग्य होना मानकर पारित आदेशों में कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया है। अब हमारे समक्ष निर्णयार्थ बिन्दु यह है कि क्या प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय बिलों में पृथक् से प्रति किलोलीटर की दर से लाईसेंस फीस की वसूल की गयी राशि अधिनियम की धारा 2(36) में परिभाषित विक्रय कीमत में शामिल किये जाने योग्य है ? इस बिन्दु के संबंध में अधिनियम की धारा 2(36). निम्नलिखित है-

2(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation II. - Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

8. "लाईसेंस शुल्क" के संबंध में अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानों के गहन अध्ययन से विदित होता है कि विक्रय कर/मूल्य परिवर्धित कर वस्तुओं के विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त/प्राप्त योग्य प्रतिफल पर आरोपणीय है तथा वस्तुयें, जो चल सम्पत्ति के रूप में हैं, उनकी विक्रय कीमत पर ही वसूली योग्य है। अचल सम्पत्ति के संबंध में वसूल किया गया "लाईसेंस शुल्क" विक्रय कीमत की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय S.B. Sales Tax Revision Petition No. 21/2013 ACTO v/s Hindustan Petroleum corpn. Ltd. आदेश दिनांक 01.10.2015 के निर्णय का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार पैट्रोल व डीजल भूमि में लगे टैंकों में स्टोर की जाती है तथा उसे उन टैंकों में से ही पंपों द्वारा विक्रय किया जाता है। ऐसे टैंक अचल संपत्ति की श्रेणी में आते हैं, एवं एलपीजी भी पैट्रोल व डीजल की भांति भूमि में लगे टैंकों में स्टोर की जाती है तथा उसे उन टैंकों में से ही पंपों द्वारा विक्रय किया जाता है, अतः एलपीजी भी अधिनियम की धारा 2(36) के तहत कर योग्य नहीं होगी।

9. इस प्रकार सशक्त अधिकारी द्वारा एलपीजी व कैरोसीन के विक्रय पर लाईसेंस फीस प्राप्त की गयी है जिसे अधिनियम की धारा 2(36) से आच्छादित मानते हुए लाईसेंस फीस




::4:: 1-3. अपील संख्या-1117 से 1119/15/जयपुर

को कर योग्य माना है, जबकि एलपीजी भी पेट्रोल व डीजल की भांति भूमि में लगे हुए टैंकों में स्टोर की जाती है तथा उसे उन टैंकों में से ही पम्पों द्वारा विक्रय किया जाता है। ऐसे टैंक अचल सम्पत्ति की श्रेणी में आते हैं, तथा अचल सम्पत्ति को अधिनियम की धारा 2(36) के अनुरूप विक्रय मूल्य का भाग मानकर किया गया करारोपण अविधिक होगा। अतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार योग्य नहीं हैं। अपीलीय अधिकारी ने अपना अपीलीधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।

9. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत ये तीनों अपीलें सारहीन होने अस्वीकार की जाती हैं तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

